संख्याः 1687/168 ख/औ0वि0/2004

प्रेषक,

श्री संजीव चोपड़ा
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल शासन।

औद्योगिक विकास विभाग देहरादूनः दिनांक 19 जुलाई, 2004

विषयः– उप खनिजों के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण एवं बिक्री पर रोक के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल में बालू, रेता, बजरी, बोल्डर एवं पत्थर निर्माण सामग्री के रुप में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है तथा इसके खनन, परिवहन, भण्डारण तथा बिक्री का कार्य उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 जिसके प्राविधान उत्तरांचल उप खनिज (परिहार) नियमावली 2001 के अनुकूलन एवं रुपान्तरण के अनुसार उत्तरांचल में भी प्रचलित है, के अनुसार होता है। परन्तु उत्तरांचल के जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा कई अन्य जनपदों से यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उपर्युक्त नियमावली में दिये गये प्राविधानों तथा उत्तरांचल खनिज नीति 2001 तथा इसके बाद समय–समय पर संशोधित आदेशों के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं हो रही है तथा शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि हो रही है। उपर्युक्त उप खनिजों की व्यवस्था में लगे हुए अवांछित व्यक्तियों को अनुचित लाभ मिल रहा है जिससे लोगों में असंतोष पैदा होता है। कहीं–कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ जाती है। इस स्थिति पर मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी असंतोष व्यक्त किया है। उनके समक्ष यह शिकायत प्राप्त हुई है कि कई वाहन बिना रवन्ना (प्रपत्र एम.एम.–11) के पकड़े गये। कुछ वाहनों के चालकों के पास रवन्ना थे परन्तु उनके रवन्ना में उप खनिज की मात्रा से अधिक सामग्री का परिवहन किया जा रहा था। कुछ वाहन चालकों के पास रवन्ना था परन्तु उनमें समय एवं तिथि अंकित न होने से कई बार इनका

उपयोग किया जा रहा था। अतः उन्होंने निर्देश दिये हैं कि इस सम्बन्ध में विधिक व्यवस्था की जाए। शासन स्तर पर उप खनिजों के खनन, परिवहन, भण्डारण आदि के अवैध कार्य पर अंकुश लगाने हेतु नियमावली के संरचना का कार्य गतिमान है। शीघ्र ही यह नियमावली अधिसूचित की जाएगी और प्रवर्तन तथा अनुपालन की कार्यवाही हेतु आपको भेजी जाएगी।

शासन स्तर पर अभी प्रचलित उत्तरांचल उप खनिज (परिहार) नियमावली 2001 के प्राविधानों का परीक्षण किया गया जिससे स्पष्ट है कि उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के साथ पठित उत्तरांचल उप खनिज (परिहार) नियमावली 2001 के नियम 66, 70, 74 तथा 75 के अन्तर्गत जिलाधिकारी को पर्याप्त शक्ति प्रदान की गयी है। अतः आप इन शक्तियों का प्रयोग करके अपने जनपद में उप खनिज बालू, रेता, बजरी, बोल्डर एवं पत्थर के खनन, ढुलान, परिवहन, भण्डारण तथा बिक्री में हो रही अनियमितता को नियंत्रित करने तथा प्रदेश सरकार को इन उप खनिजों से होने वाली आय में वृद्धि करने का प्रयास कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में आप अपने सभी उप जिलाधिकारियों अथवा केवल उन उप जिलाधिकारियों को जिनके क्षेत्र में उप खनिज का खनन कार्य सबसे ज्यादा होता है, को प्रवर्तन के कार्य हेतु अधिकृत कर सकते हैं। आप अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लें कि सभी उप जिलाधिकारियों की एक बैठक अथवा संक्षिप्त प्रशिक्षण आयोजित कर लें। इस बैठक अथवा प्रशिक्षण में अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण तथा बिक्री को रोकने के सम्बन्ध में अभी तक की गई कार्यवाही की समीक्षा की जाय। साथ ही विधिक कार्यवाही एवं प्रक्रिया की जानकारी सहायक अभियोजन अधिकारी अथवा जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी/अपराध) द्वारा उप जिलाधिकारियों को बैठक अथवा प्रशिक्षण में दिलाया जाय। तकनीकी जानकारी हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून से इन बैठकों में खान अधिकारी को उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये जा सकते हैं।

इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग, वन विभाग तथा राजस्व पुलिस का भी पूरा सहयोग प्राप्त किया जाए तथा प्रत्येक माह अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण तथा बिक्री को रोकने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का ब्यौरा शासन को भेजा जाए। अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारी, अधिकारी अथवा जांचदल की पुरस्कार हेतु संस्तुति भी आप शासन को भेज सकते हैं। पुरस्कार धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में भी शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है।

उप खनिजों के खनन, परिवहन, भण्डारण एवं बिक्री के सम्बन्ध में पुलिस, वन विभाग तथा राजस्व पुलिस द्वारा वन विभाग तथा पुलिस विभाग के बैरियर का भी उपयोग किया जा सकता है। यदि इस उद्देश्य हेतु अलग बैरियर आप अपने जिले के विशिष्ट स्थान पर लगाना चाहें तो प्रस्ताव शासन को भेजने का कष्ट करें।

आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद में अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण एवं बिक्री को नियन्त्रित करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम उत्तरांचल उप खनिज परिहार नियमावली–2001 के अन्तर्गत तैयार कर लें। सभी उप जिलाधिकारियों को नियम–70 (1) के अन्तर्गत रवन्ना (प्रपत्र एम.एम.–11) में बनवा कर उपलब्ध करा दें तथा प्रत्येक माह में की गई कार्यवाही का विवरण मुझे संलग्न प्रारूप में भेज दें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

17/7/04

(संजीव चोपड़ा)
सचिव

पृ0सं0: 1687 (1)/168 ख/औ0वि0/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– 1. आयुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव

उप खनिजों के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण एवं बिक्री पर रोक के प्रकरणों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का मासिक विवरण प्रारूप

1. जनपद –
2. माह एवं वर्ष –

क्र0 सं0	निरीक्षण किये गये खनन क्षेत्रों/वाहनों की संख्या	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें जिलाधिकारी द्वारा कम्पाउण्ड दिया गया	कम्पाउण्ड के आदेश से प्राप्त धनराशि	न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या	स्तम्भ–5 के सम्बन्ध में बरामद रेता, बजरी, बोल्डर, पत्थर की मात्रा	जब्त उपकरणों तथा वाहनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7